

धारा 8 : उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण

- (1) उस तारीख से, जिससे केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होते हैं, पांच वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी अवधि के लिए जो परिषद् की सिफारिश पर विहित की जाए, माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उद्भूत होने वाली राजस्व की हानि के लिए राज्यों को प्रतिकर का उपबन्ध करने के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 में यथा उपबन्धित माल या सेवा या दोनों के राज्य के भीतर ऐसी पूर्तियों पर और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 में यथा उपबन्धित माल या सेवाओं या दोनों के ऐसी अन्तरराज्यिक पूर्तियों पर उपकर उद्गृहीत किया जाएगा और ऐसी रीति में जो परिषद् की सिफारिशों पर विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा :

परन्तु ऐसा कोई उपकर, ऐसे किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, जिसने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण के लिए विकल्प लेने का विनिश्चय किया है की गई पूर्ति उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

- (2) उपकर, माल और सेवाओं की ऐसी पूर्तियों पर, जो अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, मूल्य, मात्रा के आधार पर अथवा ऐसे आधार पर ऐसी दर से जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उपवर्णित ऐसी दर से अधिक नहीं हो, जो केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उद्गृहीत किया जाएगा :

परन्तु जहां उपकर, ऐसे प्रत्येक प्रदाय के लिए माल या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति पर उनके मूल्य के प्रति निर्देश से प्रभार्य है, वहां ऐसी प्रत्येक पूर्ति पर मूल्य, माल या सेवाओं या दोनों की राज्य के भीतर की समस्त पूर्तियों और अन्तरराज्यिक पूर्तियों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के अधीन अवधारित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि भारत में आयातित माल पर उपकर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार उस बिन्दु पर, जहां सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 12 के अधीन उक्त माल पर उद्गृहीत किया जाता है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन अवधारित मूल्य पर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा।